न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. (पुराना 650/200 6)118/2017

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

1. कोयली पत्नि स्व0 भैरा कुम्हार
2. सीता पुत्री भैरा कुम्हार
3. सुशीला पुत्री भैरा कुम्हार
   निवासी रावतमाल

............अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश — दिनांक 11.12.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रावतमाल के साविक खसरा नं0 493 रकबा 04–06–00 किस्म नाला के हाल खसरा नं0 1125 रकबा 00–07–00 किस्म बारानी 3 राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सवतं 1349 में किस्म नाला दर्ज थी। जो वर्किग जमाबन्दी में सैटलमेन्ट द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. जनहित याचिका 1536/2003 में सवंत 1350 फसली के बाद किस्म परिवर्तन करना एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी दिया जाना विधिसंगत नहीं माना। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.7.2003 की पालना में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी (Expert committee) की सिफारिशों के अनुसार उक्त विवादित आराजियात को "Original shape & Use" प्रदान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं परिवर्तन किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नाला दर्ज करने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेफरेन्स प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत रेफरेन्स बाद उभय पक्ष की सुनवाई के न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 31.1.2008 से स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकार्ड में पुनः सिवाय चक दर्ज करने के आदेश हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रस्तुत किया गया। जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 5.7.2017 से रेफरेन्स अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मामले की पुनः जांच कर दिनांक 15.8.1947 से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख को अभिलेख

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

से लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावें तो पुनः राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

पत्रावली प्राप्त होने पर मण्डल के उक्त निर्णयानुसार प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर तहसीलदार ब्यावर से मान0 न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर निर्णय के बिन्दु संख्या 05 से 07 बाबत स्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्ण तथ्यात्मक रिर्पोट मय वाछित रिकार्ड तलब कर अप्रार्थीगण को पुनः सूचित किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आयें। तहसीलदार ब्यावर से वाछित रिपोर्ट/रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने सुनवाई भी अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रावतमाल के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सवतं 1349 में साबिक खसरा नं0 493 रकबा 04—06—00 किस्म नाला के नवीन बटा नं0 1125 रकबा 00—07—00 किस्म नाला दर्ज थी। जिसे बाद में सैटलमेन्ट दौरान वर्किंग जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. जनहित याचिका 1536/2003 में पारित निर्णय की पालना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं परिवर्तन किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नाला दर्ज करने हेतु तहसीलदार ब्यावर द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रेफरेन्स आदेश दिनांक 31.1.2008 से स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकार्ड में पुनः सिवाय चक दर्ज करने के आदेश हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रस्तुत किया गया। जो निर्णय दिनांक 5.7.2017 से अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मामले की पुनः जांच कर दिनांक 15.8.1947 से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख को अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावें तो पुनः राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे। मान0 न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर निर्णय के बिन्दु संख्या 05 से 07 बाबत स्थिति स्पष्ट करते हुए तहसीलदार ब्यावर से पूर्ण तथ्यात्मक रिर्पोट मय वाछित रिकार्ड तलब की गई जिसके अनुसार साबिक रिकार्ड फसली संवत् 1350 से लेकर संवत् 2025—2028 तक प्रश्नगत आराजी की किस्म नाला चली आ रही थी। भू—संशोधन पश्चात तैयार वर्किंग जमाबन्दी सवंत 2041 में उक्त खसरा नम्बर 493 के बटा नम्बर कायम होकर नवीन नम्बर 1125 रकबा 00—07—00 किस्म बारानी 3 सिवाय चक खाते में दर्ज रही। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के आदेश क्रमांक/राजस्व/85/1395 दिनांक 5.6.1985 के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 5.6.1985, विवादित आराजी खसरा नं0 1125 रकबा 00—07—00 बीघा किस्म बारानी 03 सिवाय चक से भैरा वल्द गणेश कौम कुम्हार सा0 देह के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई। तथा बाद में विरासती नामान्तरकण संख्या 169 दिनांक 16.5.1995 के कोयली बेवा भैरा वगै0 के पक्ष में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई।

हमने राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रावतमाल के साबिक खसरा नं0 493 रकबा 04—06—00 की किस्म फसली संवत् 1350 से लेकर संवत् 2025—2028 तक नाला चली आ रही थी। भू—संशोधन पश्चात तैयार वर्किंग जमाबन्दी सवंत 2041 में उक्त खसरा के बटा नम्बर 1125 रकबा 00—07—00 किस्म बारानी 3 सिवाय चक को उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के नियमन आदेश दिनांक 5.6.1985

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

(22)

आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 5.6.1985, अप्रार्थीगण के पूर्वज भैरा पुत्र गणेश कौम कुम्हार सा0 देह के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई। तथा बाद में जरिये विरासती नामान्तरकण अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की डी.बी. जनहित याचिका में पारित निर्णय की पालना हेतु गठित Expert committee की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1947 के समकालीन राजस्व रेकार्ड के मुताबिक उक्त विवादित आराजियात को Original shape & Use "नाला " प्रदान करने हेतु सिवाय चक घोषित किया जाना आवश्यक है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर का नियमन आदेश दिनांक 5.6.1985, इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 5.6.1985, तथा पश्चातवर्ती विरासती नामान्तरकण संख्या 169 दिनांक 16.5.1995 निरस्त फरमाये जाने के साथ ही विवादित भूमि को पुनः सिवायचक किस्म "नाला" दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तगर्त धारा, 82 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पुनः माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

V. M. Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner